

## THE JHARKHAND GAZETTE

## EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

**No.** 774

28 Aashwin, 1938 (S) Ranchi, Friday, 20<sup>th</sup> October, 2017

## COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

**NOTIFICATION** 

18th October, 2017

**S.O. No. 108 Dated 20<sup>th</sup> October, 2017--**In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act)and in supercession of S.O No. 79/2017-State Tax, dated the 19<sup>th</sup> September, 2017, published in the Jharkhand gazette, , except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor in **FORM GSTR-6** under sub-section (4) of section 39 of the said Act read with rule 65 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 for the months of July, 2017, August, 2017 and September, 2017 till the 15<sup>th</sup> day of November, 2017.

2. This notification shall be deemed to be effective from 13th October, 2017.

 $[File.No\ Va\ Kar\ /\ GST\ /\ 04/\ 2017]$  By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,

Principal Secretary-cum Commissioner

## वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 18 अक्टूबर, 2017

एस॰ ओ॰ 108 - दिनांक 20 अक्टूबर, 2017-- आयुक्त, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, एस॰ ओ॰ 79 तारीख 19 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना को, सिवाय उन बातों के, जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा झारखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 65 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-6 में जुलाई, 2017, अगस्त, 2017 और सितम्बर, 2017 मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा का 15 नवम्बर, 2017 तक विस्तार करता है। 2. यह अधिसूचना 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/04/2017] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

> के॰ के॰ खण्डेलवाल, प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

-----